

न्यायालय अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदार जिला-बालोद (छत्तीसगढ़)
प्रमाण-पत्र (क) प्रारूप

वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्र. एफ-9/2001/1/3

रायपुर, दिनांक-27 जून 2007

रा.मा.क्र. 8220 ब/121 वर्ष 2002-2013

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. अश्विनी सिंह
आत्मज/आत्मजा/पति श्री लालचंद सिंह निवासी नांदेड़ा
तहसील छत्तीसगढ़ जिला-बालोद छत्तीसगढ़ निवासी है क्योंकि :-

(1) छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी उसी व्यक्ति को माना जावेगा जो निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता हो :-

1. छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ/हुई है.

अथवा

2. (क) वह,

(ख) उसके पालकों में से कोई,

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा हो

3. उसके पालकों में से कोई भी :-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी हो,

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी हो, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत हो।

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, घरेलू, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हों।

परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता हो :-

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष तक प्राप्त की हो.

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हो :-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो, या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो तो, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा।

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडिएट/हायर सेकेंडरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा।

(ग) अन्य मामलों में कक्षा पांचवी परीक्षा।

(2) उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे-

(क) छत्तीसगढ़ राज्य के आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तथा उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारी/कर्मचारी तथा उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति तथा उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी तथा उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

(3) उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जावेगा उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे।

स्थान : रायपुर

दिनांक : 16/8/13



टीप:- जो अंश लागू न हों उन्हें काट दिया जावे।

प्रधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
नायब तहसीलदार